RNI No. MAHBIL /2009/35527

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ७४(३)] मंगळवार, ऑक्टोबर २२, २०२४/आश्विन ३०, शके १९४६ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १०६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001, 17th October 2024

Order

No. 3/4/ID/2024/SDR/VOL. I.—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; an

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing personation of electors and facilitating their identification at the time of poll, issue of Electors' Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961. stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors' Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960. the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; an

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors' Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors' Photo Identity Card have been issued to approximately 100% electors in the States of Jharkhand, Maharashtra, and the constituencies going for bye elections in the State of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the current general and bye elections (as per Annexure-1) to—

-the Legislative Assembly of Jharkhand, to be notified on 18th October 2024 and 22nd October 2024, and

-the Legislative Assembly of Maharashtra, to be notified on 22nd October 2024, and bye-elections (as per Annexure-1) to

-47 Assembly Constituencies & 04-Wayanad Parliamentary Constituency in Kerala, to be notified on 18th October 2024 and

-07-Kedarnath Assembly Constituency in Uttarakhand & 16-Nanded Parliamentary Constituency in Maharashtra to be notified on 22nd October 2024.

all electors who have been issued EPIC are expected to produce the EPIC for their identification at the polling stations before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :—

(i) Aadhaar Card,

(ii) MNREGA Job Card,

(iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,

(iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,

(v) Driving License,

(vi) PAN Card,

(vii) Smart Card issued by RGI under NPR,

(viii) Indian Passport,

(ix) Pension document with photograph,

(x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./ PSUs/Public Limited Companies,

(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and

(xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc, should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided that the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) at the polling station.

ANNEXURE-I

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name
1.	Assam	11-Dholai(SC) AC
2.		31-Sidli(ST) AC
3.		32-Bongaigaon AC
4.		77-Behali AC
5.		88-Samaguri AC
6.	Bihar	196-Tarari AC
7.		203-Ramgarh AC
8.		227-Imamganj(SC) AC
9.		232-Belaganj AC
10.	Chhattisgarh	51-Raipur City South AC
11.	Gujarat	7-Vav AC
12.	Karnataka	83-Shiggaon AC
13.		95-Sandur(ST) AC
14.		185-Channapatna AC
15	Kerala	56-Palakkad AC
16.		61-Chelakkara(SC) AC
17.		**4-Wayanad PC**
18.	Madhya Pradesh	156-Budhni AC
19.		02-Vijaypur AC
20.	Maharashtra	**16-Nanded PC**
21.	Meghalaya	56-Gambegre(ST) AC
22.	Punjab	10-Dera Baba Nanak AC
23.		44-Chabbewal(SC) AC
24.		84-Gidderbaha AC
25.		103-Barnala AC
26.	Rajasthan	27-Jhunjhunu AC
27.		67-Ramgarh AC
28.		88-Dausa AC
29.		97-Deoli-Uniara AC
30.		110-Khinwsar AC
31.		156-Salumber(ST) AC
32.		161-Chorasi(ST) AC
33.	Sikkim	07-Soreng-Chakung AC
34.		11-Namchi-Singhithang AC
35.	Uttar Pradesh	16-Meerapur AC
36.		29-Kundarki AC
37.		56-Ghaziabad AC
38.		71-Khair(SC) AC
39.		110-Karhal AC
40.		213-Sishamau AC
41.		256-Phulpur AC
42.		277-Katehari AC
43.		397-Majhawan AC
44.	Uttarakhand	07-Kedarnath AC
45.	West Bengai	06-Sitai(SC) AC
46.		14-Madarihat(ST) AC
47.		104-Naihati AC
48.		121-Haroa AC
49.		236-Medinipur AC
50.		251-Taldangra AC

By Order,

S. B. JOSHI,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001, दिनांक 17 अक्तूबर, 2024

आदेश

सं. 3/4/आईडी/2024/ एसडीआर / खण्ड-I.—1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं ; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता हैं, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के साधन के रुप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र एपिक जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था ; तथा

6. यतः, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों, और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके है, तथा

7. अतः अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निदेश देता है कि :—

-18 अक्तूबर 2024 & 22 अक्तूबर 2024 को अधिसूचित की जाने वाली झारखंड विधान सभा, और

-22 अक्तूबर 2024 को अधिसूचित की जाने वाली महाराष्ट्र विधान सभा के चालू साधारण एवंम उप निर्वाचनों (संलग्नक-1 के अनुसार) के लिये, और

-18 अक्तूबर 2024 को अधिसूचित किए जाने वाले 47 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवंम केरल में 04-वयनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए, और

-22 अक्तूबर 2024 को अधिसूचित किए जाने वाले 07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 16-नांदेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए

सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान केन्द्रों पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :—

(i) आधार कार्ड,

(ii) मनरेगा जॉब कार्ड,

(iii) बैंको / डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक,

(iv) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

(v) ड्राइविंग लाइसेन्स,

(vi) पैन कार्ड,

(vii) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड,

(viii) भारतीय पासपोर्ट,

(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

(x) केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

(xi) सांसदो / विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और

(xii) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।

8. एपिक के संबंध में, लेखन-अशुद्धियां, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्तें निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतू स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उपर्युक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

अनुलग्नक-I

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	असम	11-धोलाई(अ.जा.)वि.स.नि.क्षे.
2.		31-सिड़ली(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
3.		32-बोंगईगांव वि.स.नि.क्षे.
4.		77-बेहाली वि.स.नि.क्षे.
5.		88-सामगुड़ी वि.स.नि.क्षे.
6.	बिहार	196-तरारी वि.स.नि.क्षे.
7.		203-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
8.		227-इमामगंज(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
9.		232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे.
10.	छत्तीसगढ़	51-रायपुर नगर दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
11.	गुजरात	7-वाव वि.स.नि.क्षे.
12.	कर्नाटक	83-सिग्गाओं वि.स.नि.क्षे.
13.		95-सन्डुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
14.		185-चन्नापटना वि.स.नि.क्षे.
15.	केरल	56-पालाक्काड वि.स.नि.क्षे.
16.		61-चेलाक्करा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
17.		4-वायनाड सं.नि.क्षे.
18.	मध्य प्रदेश	156-बुधनी वि.स.नि.क्षे.
19.		02-विजयपुर वि.स.नि.क्षे.
20.	महाराष्ट्र	16-नांदेड सं.नि.क्षे.
21.	मेघालय	56-गम्बेगरे(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
22.	पंजाब	10-डेरा बाबा नानक वि.स.नि.क्षे.
23.		44-चब्बेवाल(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
24.		84-गिद्दड़बाहा वि.स.नि.क्षे.
25.		103-बरनाला वि.स.नि.क्षे.
26.	राजस्थान	27-झुन्झुनू वि.स.नि.क्षे.
27.		67-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
28.		88-दौसा वि.स.नि.क्षे.
29.		97-देवली-उनियारा वि.स.नि.क्षे.
30.		110-खींवसर वि.स.नि.क्षे.
31.		156-सलूम्बर(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
32.		161-चोरासी(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.

33.	सिक्किम	07-सोरेंग-चाकुंग वि.स.नि.क्षे.
34.		11-नामची-सिंघीथांग वि.स.नि.क्षे.
35.	उत्तर प्रदेश	16-मीरापुर वि.स.नि.क्षे.
36.		29-कुन्दरकी वि.स.नि.क्षे.
37.		56-गाजियाबाद वि.स.नि.क्षे.
38.		71-खैर(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
39.		110-करहल वि.स.नि.क्षे.
40.		213-सीसामऊ वि.स.नि.क्षे.
41.		256-फूलपुर वि.स.नि.क्षे.
42.		277-कटेहरी वि.स.नि.क्षे.
43.		397-मझवां वि.स.नि.क्षे.
44.	उत्तराखण्ड	07-केदारनाथ वि.स.नि.क्षे.
45.	पश्चिम बंगाल	06-सिताई(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
46.		14-मदारीहाट(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
47.		104-नईहटी वि.स.नि.क्षे.
48.		121-हरोआ वि.स.नि.क्षे.
49.		236-मेदीनिपुर वि.स.नि.क्षे.
50.		251-तालदनगरा वि.स.नि.क्षे.

आदेश से,

एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

क्रमांक ईएलआर-२०२४/प्र.क्र. १०१०/ निवडणूक-६
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२४.

प्रत, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

(१) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर,

(२) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून),

(३) अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर,

(४) अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,

(५) विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी (सर्व),

(६) उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व).

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.